न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— **मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :— 19 / 2021

वादी :— राजूराम पुत्र श्री गंगाराम, जाति राईका, निवासी ग्राम कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. कानाराम पुत्र गंगाराम,
2. मूलाराम पुत्र गंगाराम,
   जातियान राईका, निवासीगण ग्राम कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. भूमिधारी तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री भागीरथसिंह सोढा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** :— 5/5/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कापरडा तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की सयुक्त खातेदारी, सयुक्त मालिकाना हक, हकूक, कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 514 / 1 रकबा 2.6293 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की शामलाती हक हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 1 / 3 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 3 हिस्सा है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक, बिना किसी व्यवधान के काश्त करते आ रहे है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक, बिना किसी व्यवधान के काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर उक्त अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण कब्जा काश्त करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक बंटवाडा नही होने से हमेशा काश्त करते समय धोरा पाली को लेकर वादी को परेशानी का सामना करना पडता है, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद व मतभेद उत्पन्न होते रहते है। इसलिए वादी अपनी हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का उपभोग व उपयोग सही ढंग से नही कर पा रहा है। इसलिए वादी ने वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने दिनांक 03.02.2021 को बंटवाडा करने से मना कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत होने से यह वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा का पेश है। प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से की भूमि में उसके कब्जा काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान उत्पन्न करते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है इसलिए प्रतिवादीगण न तो स्वयं न ही अपने नौकर, एजेन्ट इत्यादि के द्वारा वादी के हक हिस्से की भूमि में व उसके कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही अपने नौकर एजेन्ट इत्यादि से करावे। इसलिए उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत होने से उनके विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि पैरा संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक, हिस्से एवं मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के तहत करवाया जाकर सम्बंधित राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण न तो स्वयं न ही अपने नौकर, एजेन्ट इत्यादि से वादी के हक हिस्से की भूमि पर दखलन्दाजी नही करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 05.12.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम कापरडा तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 514/1 रकबा 2.6293 हैक्टयर का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेष प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	कानाराम पि. गंगाराम जाति राईका निवासी कापरडा खातेदार	514/1	0.8656
	कुल खसरा	1	0.8656
2	मूलाराम पि. गंगाराम जाति राईका सा.देह खातेदार	514/1	0.8656
	कुल खसरा	1	0.8656
3	राजूराम पि. गंगाराम जाति राईका सा.देह खातेदार	514/1	0.8656
	कुल खसरा	1	0.8656
4	राजूराम 1/3 कानाराम 1/3 मूलाराम 1/3 पि. गंगाराम जाति राईका सा.देह खातेदार रास्ता उपयोग हेतु शामलाती भूमि	514/1	0.04
	कुल खसरा	1	0.04

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काष्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्षा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेष नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्षा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेष दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/5/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– राजूराम पुत्र श्री गंगाराम, जाति राईका, निवासी ग्राम कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कानाराम पुत्र गंगाराम,
2. मूलाराम पुत्र गंगाराम,
   जातियान राईका, निवासीगण ग्राम कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. भूमिधारी तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 19/2021

निर्णय **दिनांक** :– 5/3/20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ सिंह सोढा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार बिलाड़ा को आदेष दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरहे – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा